भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3251
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण

3251. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी :

श्री श्रीधर कोटागिरी :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने यह ध्यान दिया है कि आंध्र प्रदेश में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) की पीठ नहीं होने के कारण कई याचिकाकर्ताओं को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने विवादों के समाधान के लिए तेलंगाना में हैदराबाद जाना पड़ता है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशाखापत्तनम सीएटी की नई पीठ के लिए आदर्श स्थान है, क्योंकि इसमें स्टील प्लांट, शिपिंग और पोर्ट ट्रस्ट, एचएसएल, डीसीआईएल, रेलवे, विमानपत्तन, सीमा-शुल्क, केंद्रीय उत्पाद, एचपीसीएल और एलआईसी जैसे केंद्र सरकार के कई कार्यालय हैं, जहां हजारों कर्मचारी काम करते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने विशाखापत्तनम में सीएटी की पीठ की स्थापना पर विचार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : आंध्र प्रदेश राज्य के तेलगांना और आंध्र प्रदेश में विभाजन से पहले, आंध्र प्रदेश के मुवक्किल, सेवा मामलों से उद्भूत अपने विवादों के समाधान के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की हैदराबाद खंडपीठ में जा सकते थे । आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के पश्चात्, हैदराबाद केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की खंडपीठ की अधिकारिता का तारीख 23.9.2014 की अधिसूचना द्वारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों तक विस्तार किया गया है ।

(ख) : एस. पी. संपत कुमार आदि बनाम भारत संघ और अन्य [1987 एस. सी. आर. (1) 435] में तारीख 09.12.1986 को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार, सरकार जहां भी उच्च न्यायालय का स्थान है, वहां एक स्थायी खंडपीठ स्थापित कर सकती है । यदि संभव न हो तो कार्यभार को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की कम से कम एक सर्किट खंडपीठ स्थापित की जाए । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (वित्तीय

और प्रशासनिक शक्ति) नियम, 1985 के नियम 3 के अनुसार, सर्किट खंडपीठ की स्थापना करने के लिए निर्णय लेने की शक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष के पास निहित है ।

(ग) : अब तक, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

****